कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लखनादौन, जिला सिवनी

क्र0 /2588/ व.श्री/ ज.पं./2025 लखनादौन, दिनांक 29.09.2025

प्रति,

सचिव/ग्राम रोजगार सहायक सर्व
ग्राम पंचायत ....
जनपद पंचायत लखनादौन

विषयः– **भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार के संबंध में।**

संदर्भः– कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण), जिला –सिवनी का पत्र कमांक/RVY/I/522135/2025 सिवनी दिनांक 26.09.2025।

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें (संलग्न) जिसके परिपालन में **दिनांक 06.10.2025 को समय प्रातः 11.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक स्थान जनपद पंचायत सभाकक्ष, लखनादौन** में 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक के वृद्वजनों के आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण प्रदाय किये जाने हेतु मूल्यांकन परीक्षण शिविर (जैसे छडी, बैसाखी, वॉकर, ट्राईपॉड्स/क्वाडपॉड्स, श्रवण यंत्र, कृत्रिम दांत, नजर का चश्मा, व्हील चेयर इत्यादि) हेतु परीक्षण/चिन्हांकन शिविर आयोजित किया जहा रहा है।

उक्त शिविर में परीक्षण के समय वृद्वजनों को निम्नलिखित दस्तावेज लाना अनिवार्य है :–

1. आधर कार्ड।
2. बी.पी.एल. राशन कार्ड/मनरेगा कार्ड/सरपंच द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।

अतः आपकी ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आवश्यक प्रचार–प्रसार/मुनादी कराते हेतु वृद्वजनों को निर्धारित दिनांक एवं स्थान पर आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित कराना सुनिश्चित करें। जानकारी के आभाव में कोई भी वृद्वजन सहायक उपकरण हेतु पात्रता परीक्षण से वंचित न रहें।

उक्त परीक्षण शिविर में चिन्हांकित वृद्वजनों को पात्रतानुसार उपकरण का वितरण पृथक से आयोजित शिविर में किया जावेंगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

29.09.25

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत लखनादौन

पृ. क्र0 /2588/ व.श्री/ ज.पं./2025 लखनादौन, दिनांक 29.09.2025

प्रतिलिपिः–

1. माननीय अध्यक्ष महोदया, जनपद पंचायत लखनादौन।
2. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनपद पंचायत लखनादौन।
3. माननीय जिला पंचायत सदस्य (सर्व)..।
4. माननीय सदस्यगय, (सर्व) जनपद पंचायत लखनादौन।
5. सरपंच महोदय, (सर्व) जनपद पंचायत लखनादौन।
6. कलेक्टर महोदय, जिला सिवनी की ओर सादर सूचनार्थ ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी की ओर सादर सूचनार्थ।
8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लखनादौन की ओर सादर सूचनार्थ।
9. उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ।
10. पंचायत समन्वय अधिकारी (समस्त) जनपदप पंचायत लखनादौन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

29.09.25

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत लखनादौन

राष्ट्रीय वयोश्री योजना

पात्रता मानदंड:- योजना का लाभ प्राप्त के लिए व्यक्ति को भारत का वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष और उससे अधिक आयु) होना आवश्यक है ।

1. **पहचान प्रमाण:-** आधार कार्ड या आधार कार्ड के लिए आवेदन (आधार नामांकन पावती) । यदि लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है तो पहचान के उद्देश्य के लिए निर्देशित पहचान दस्तावेजों में से कोई भी स्वीकार्य है ।

2. **आर्थिक पात्रता:-** लाभार्थी नीचे वर्णित दस्तावेजों में से किसी एक की छायाप्रति प्रस्तुत एवं जमा कर सकता है:

   - पात्रता के लिए जिला प्राधिकरण से प्रमाण पत्र, या
   - बी.पी.एल (BPL) राशन कार्ड, या
   - मनरेगा (MGNERGA) कार्ड, या
   - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) अथवा राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश की किसी अन्य पेंशन योजना के तहत BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने का प्रमाण, या
   - विकलांगता पेंशन कार्ड, या
   - बीपीएल श्रेणी के अलावा अन्य वरिष्ठ नागरिक जिनकी सभी स्रोतों से मासिक आय रुपये 15000/- प्रति माह से कम वह राजस्व विभाग, माननीय सांसद (एमपी) / माननीय विधायक (एमएलए) एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते है ।

लाभार्थी ने 3 वर्षों के दौरान भारत सरकार / राज्य सरकार या अन्य सामाजिक योजना के अन्तर्गत किसी शासकीय/अशासकीय/अन्य संस्था से कोई उपकरण प्राप्त न किया गया हो ।

योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले नित्य जीवन सहायक उपकरण:-

यह योजना पात्र वरिष्ठ लाभार्थियों को उनकी शारीरिक दुर्बलता के अनुसार निम्नलिखित उपकरण प्रदान करती है ।